2025 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों के क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 10–क का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 में,–

(क) उपधारा (1) में, "अस्सी हजार" शब्दों के स्थान पर "पचानवें हजार" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (1–क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:––

"(1–क) अध्यक्ष का वेतन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (5) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ होते हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।

(1–कक) अध्यक्ष पांच हजार रुपये प्रतिमास प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा"; और

(ग) उपधारा (1–ख) में "पचानवें हजार" शब्दों के स्थान पर "एक लाख पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में,––**"पचहतर हजार"** शब्दों के स्थान पर **"बानवें हजार"** शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (1–क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

"(1–क) उपाध्यक्ष का वेतन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (5) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ होते हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।

(1–कक) उपाध्यक्ष पांच हजार रुपये प्रतिमास प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा"; और

(ग) उपधारा (1–ख) में, **"पचानवे हजार"** शब्दों के स्थान पर **"एक लाख पचास हजार"** शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10–क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 10–क में,––

(क) उपधारा (1) में,––

(i) "चार लाख रूपये" शब्दों के स्थान पर "छह लाख रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"परंतु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा का व्यय वास्तविक आधार पर संदेय होगा किन्तु प्रति किलोमीटर प्रभार पच्चीस रूपये से अनधिक तथा छः लाख रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर होगा"।; और

(iii) द्वितीय परंतुक में "चार लाख रूपये" शब्दों के स्थान पर "छह लाख रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (2) में "पच्चीस हजार" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय में तीव्रता से वृद्धि के कारण विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ....., 2025

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों को अधिनियमित किए जाने से राजकोष पर लगभग पैंतीस लाख अतिरिक्त आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा, तथापि इसका ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(फाइल नं0 जी0ए0डी0–सी0–डी0(6)–3/2025)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : ....., 2025

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) के उपबन्धों के उद्धरण।

धारा:

3. **अध्यक्ष का वेतन आदि.**—(1) अध्यक्ष प्रतिमाह अस्सी हजार रुपए की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(1–क) अध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(1–ख) अध्यक्ष पचानवे हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(1–ग) उपधारा (1) और (1–ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और (1–ख) के अधीन अध्यक्ष को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार उसे उसके अध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि तक गृह का निःशुल्क अधिभोगी बने रहने की अनुज्ञा भी दे सकेगी ।

4. **उपाध्यक्ष का वेतन आदि.**—(1) उपाध्यक्ष प्रतिमाह पचहत्तर हज़ार रुपये की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान, प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(1–क) उपाध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपये की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(1–ख) उपाध्यक्ष प्रतिमाह पचानवें हजार रुपये की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(1–ग) उपधारा (1) और (1–ख) में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) और (1–ख) के अधीन उपाध्यक्ष को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

(2) उपाअध्यक्ष की उसकी पदावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी या उसके बदले में उसे तीन सौ रुपये प्रति माह से अनधिक ऐसा भत्ता जो राज्य सरकार नियत करे, संदत्त किया जाएगा। राज्य सरकार उसे उसके उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि तक गृह का निःशुल्क अधिभोगी बने रहने दे सकेगी।

स्पष्टीकरण.—उपाध्यक्ष किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, यदि उसके निवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया एक सौ पचास रुपये प्रतिमास से अधिक हो जाता है।

10–क. रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा निःशुल्क यात्रा.—(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों के प्रस्तुत करने पर, होगाः

परन्तु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह और कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेल मार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम चार लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद "कुटुम्ब" से पति–पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियों) अभिप्रेत होगा/होगी।

(2) यथास्थिति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा तथा ऐसा संदत्त अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम, उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के अधीन कुल रकम का अवधारण करने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 7 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 के अधीन, उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत की गई रकम को हिसाब में लिया जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 10 OF 2025

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 10-A.

Bill No. 10 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follow:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2025.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in sub–section (1), for the words "eighty thousand", the words "ninety five thousand" shall be substituted;

(b) for sub-section (1-A), the following shall be substituted, namely:—

"(1-A) The salary of the Speaker shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.

(1-AA) The Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem."; and

(c) in sub–section (1-B), for the words "ninety five thousand", the words "one lakh fifty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words, "seventy five thousand", the words "ninety two thousand" shall be substituted;

(b) for sub-section (1-A), the following shall be substituted, namely:—

"(1-A) The salary of the Deputy Speaker shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of cost inflation index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.

(1-AA) The Deputy Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem."; and

(c) in sub–section (1-B), for the words "ninety five thousand", the words "one lakh fifty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 10-A.

4. In section 10-A of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words "four lac rupees", the words "six lakh rupees" shall be substituted;

(ii) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometer charges shall not exceed more than twenty five rupees and within the maximum limit of six lakh rupees:"; and

(iii) in the second proviso, for the words "four lac rupees" the words "six lakh rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "twenty five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living, it has been considered necessary to amend the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA
The_____ March, 2025.

FINANCIAL MEMORANDUM

Provisions of the Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of approximately 35 lakhs on the State Exchequer, however, the same cannot be exactly quantified.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. GAD-C-D(6)-3/2025]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Bill, 2025 recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:

The_____,2025.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971 (ACT NO. 4 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

3. Salary etc. of the Speaker.—(1) The Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of eighty thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rates as are specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

(1-A) The Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.

(1-B) The Speaker shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of ninety five thousand rupees per mensem.

(1-C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (1-B), the salary and sumptuary allowance payable to the Speaker under sub-section (1) and (1-B), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.

(2) The Speaker during the term of his office shall be provided by the State Government, a free furnished house at Shimla, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government. The State Government may also allow him to continue in free occupation of the house for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be the Speaker.

4. **Salary etc. of the Deputy Speaker.**—(1) The Deputy Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of seventy five thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rates as are specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

(1-A) The Deputy Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.

(1-B) The Deputy Speaker shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of ninety-five thousand rupees per mensem.

(1-C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (1-B), the salary and sumptuary allowance payable to the Speaker under sub-section (1) and (1-B), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.

(2) The Deputy Speaker during the term of his office shall be provided by the State Government, a free furnished house at Shimla, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu thereof he shall be paid such allowance not exceeding three hundred rupees per mensem as the State Government may fix. The State Government may also allow him to continue in free occupation of the house for period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be the Deputy Speaker.

Explanation.—The Deputy Speaker shall not become liable personally for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds one hundred and fifty rupees per mensem.

10-A. Free transit by railway or by air or by taxi.—(1) The Speaker and the Deputy Speaker during the term of their office shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the Country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to a maximum amount of four lac rupees in each financial year:

Provided that the expenses on journey by taxi shall not be more than ten percent of the maximum amount of four lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by taxi in a financial year shall not exceed four lac rupees.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) The Speaker and Deputy Speaker, as the case may be, shall be entitled for an advance not exceeding rupees twenty five thousand on his request to undertake such journey

and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount under this section, the amount so incurred in the same financial year on journey by railway or by air or by taxi under section 7 of the Salaries and Allowance of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000) or under section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) shall be taken into account.